कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत।

पत्रांकः सह प्र0स0—/ मान्यता/2059-66 /2018—19 दिनाँकः 27/5/19

प्रबन्धक,

सेंट ए लॉयशियस,स्कूल,
पीलीभीत।

विषयः— **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) अधीन विधालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र ।**

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के सन्दर्भ मे शासनादेश सं0 419/79—6—2013—18 (20)/91 दिनॉक 08.05.2013 में निहित निर्देशानुसार गठित मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनॉक 08.03.2019 के निर्णयानुसार मैं, **सेंट ए लॉयशियस,स्कूल,पीलीभीत** को दिनॉक 01.04.2019 से 31.03.2022 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए औपबन्धिक मान्यता (अग्रेंजी माध्यम) प्रदान किया जाना सम्प्रेषित करता हूँ।

1— मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है, और यह किसी भी रूप में कक्षा 08 के बाद मान्यता/सम्बद्वता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।

2— विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (सलंग्नक—1) और उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011(सलंग्नक—2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3— विद्यालय कक्षा 1 में कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पास—पड़ोस के कमजोर वर्गों और साधन हीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा। और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रेत्तर यह की पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जायेगा।

4— प्रस्तर—3 में सन्दर्भित बालकों के लिए विधालय यदि अधिनियम की धारा—12(2) के अधीन आच्छादित हो, तो विधालय को तद्नुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विधालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।

5— समिति/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता—पिता या अभिभावक को किसी जॉच प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6— विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
(क) बालक का आयु प्रमाण पत्र न होने पर ।
(ख) धर्म,जाति अथवा नस्ल,जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।

7— विधालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा :—

1. किसी विधालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
2. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा।
3. किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नही है।
4. प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम—23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण पत्र वितरित किया जायेगा।
5. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विधार्थियों का अन्तर्वेशन।

PRINCIPAL
ST. ALOYSIUS COLLEGE
PILIBHIT (U.P.) 262001

Manager
St. Aloysius School
Pilibhit (U.P.) 262001

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
पीलीभीत

6. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का निर्वहन् करता है, और।

7. अध्यापक निजी अध्यापन किया–कलापों के निमित्त् स्वयं को नहीं लगायेगा।

8– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

9– विधालय छात्रों का नामांकन विधालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा। जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

10– विधालय परिसर के भीतर या विधालय के बाहर विधालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।

11– विद्यालय, सोसायटी रजिस्टीकरण अधिनियम 1860 (अधिनियम संख्या–21 सन् 1860)के अधीन् पंजीकृत समिति या तद्समय प्रवरित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।

12– विधालय, किसी व्यक्ति समूह या व्यष्टि संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों की प्रसुविधाओं के लिए संचालित नहीं किया जाता है।

13– लेखाओं की सम्परीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रतिबर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिएं।

14– आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बंधित कोड संख्या.......... है। कृपया इसको ध्यान रखा जाये और इस कार्यालय से किसी प्रकार के पत्रव्यवहार के लिए इस संख्याक का उद्दृत करने का कष्ट करें।

15– विद्यालय ऐसी रिपोर्टें और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बंधी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु विधालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिऐ जारी किये जायें।

16– समिति के पंजीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

17– विधालय प्रबन्ध/न्याय और कर्मचारी वर्ग समय–समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

18– सलंग्न अनुलंग्नक तीन के अनुसार अन्य शर्त।

(दिनेश कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
पीलीभीत
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
पीलीभीत।

पृ0स0 सह प्र0सहा0/मान्यता / /2018–19 तददिनॉक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0 लखनऊ।

2– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद।

3– सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) तृतीय मण्डल बरेली।

4– जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पीलीभीत।

5– सम्बंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी ।

PRINCIPAL
ST. ALOYSIUS COLLEGE
PILIBHIT (U.P.) 262001

Manager
St. Aloysius School
Pilibhit (U.P.) 262001

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
पीलीभीत